Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **झालावाड़ में नारकोटिक्स ब्यूरो का उप निरीक्षक (गिरदावर) व 2 प्राईवेट व्यक्ति 60 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **60 हजार रूपये की संदिग्ध राशि भी बरामद।**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *06 नवम्बर रविवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की झालावाड़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये पंकज मिश्रा हाल उप निरीक्षक (गिरदावर) रेंज अकलेरा व पचपहाड़, केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिला अफीम कार्यालय झालावाड़ तथा प्राईवेट व्यक्ति नारायणलाल मीणा व सत्यनारायण मीणा को परिवादी से **60 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की झालावाड़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे नाम अफीम का पट्टा (लाईसेंस) बनाने की एवज में श्री पंकज मिश्रा उप निरीक्षक (गिरदावर) रेंज अकलेरा व पचपहाड़ केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो झालावाड़ द्वारा प्राईवेट व्यक्ति नारायणलाल मुखिया के मार्फत **60 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुरपविजन तथा एसीबी की झालावाड़ इकाई के **अति0 पुलिस अधीक्षक श्री भवानी शंकर मीणा** नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के कार्यवाही करते हुए **पंकज मिश्रा पुत्र सूरज मिश्रा** निवासी लेन नम्बर 6 सरवस्ती विहार, देहरादून (उत्तराखण्ड हाल उप निरीक्षक (गिरदावर) रेंज अकलेरा व पचपहाड़ केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, जिला अफीम कार्यालय झालावाड़, तथा **प्राईवेट व्यक्ति नारायणलाल पुत्र प्रभूलाल** निवासी महुवा खेडा, महुवा खेर थाना घाटोली जिला झालावाड़ व **सत्यनारायण पुत्र बाबूलाल** निवासी महुवा खेडा, महुवा खेर थाना घाटोली जिला झालावाड को परिवादी से **60 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपीयान के कब्जे से **60 हजार रूपये** की संदिग्ध राशि भी बरामद की गई है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।